

कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497
वन मित्र कॉन्सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक- 1877 / 12-1 दिनांक 29/11/ 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित नौटी - छतोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.17 है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/12840/2015.

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1918/12-1, दिनांक 29.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 1918/12-1, दि० 29.11.2017 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(मान सिंह)

निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 191 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 29/11/2017

राज्य म

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,

इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून।

द्वारा-

निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840/2015 नौटी- छातोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक मोटर मार्ग का विस्तार।

नहोदय,

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | The reply to point No. 3 is not complete as no clarification has been provided regarding number of trees involved, which is shown as 51 at online Part-II but as 36 in the enumeration list. Further, in the scheme provided for planting 10 times the number of trees proposed to felled by way of CA, the number of trees involved is mentioned as 94 and scheme given is for planting of 940 trees. State Government may clarify exact number of trees to be felled and correct all these documents accordingly. | प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में विभिन्न प्रजाति के 94 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। 94 वृक्षों में से 0-10 व्यास वर्ग के 43 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिस कारण पार्ट II के कामल 4(ii) में अपलोड नहीं किया गया है। शेष 51 वृक्षों को पार्ट II के निर्धारित कालम 4(ii) में अपलोड किया गया है। प्रभावित होने वाले 94 वृक्षों के सापेक्ष 10 गुना वृक्षारोपण हेतु 940 वृक्षों के रोपण का 10 वर्षीय रख-रखाव का प्रावकलन पार्ट II के Additional information Details के कम संख्या 2 में अपलोड किया गया है। |
| 2 | Density and NPV may also be reviewed if required in view of corrections suggested at point No.1 above. Eco Class may also be reviewed. | NPV के आगणन part II के Additional information के कम संख्या 2 में अपलोड किया गया है। (संलग्न) |
| 3 | Reply to the issues raised in this office letter dt. 30-05-2016 is also not provided, which may be provided now | अधिसासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 के पत्रांक 786/1 सी (वन) दिनांक 15-06-2016 द्वारा आपके कार्यालय में जमा की जा चुकी है। प्राप्ति पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। |
| 4 | Original hard copy of FRA certificate alongwith original or attested copies of proceedings of meeting of District Level Committee, Sub Divisional Level Committee and Village Level Committee under FRA may be submitted. | एफ0 आर0 ए0 के सभी प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। |
| 5 | GIS software generated geo-referenced digital map for the area proposed for diversion showing geo-coordinates at an interval of 200-300 m and at all turning points may be uploaded online at para- C (iv) Part-I. Location of muck dumping sites may also be shown using geo-coordinates. Original hard copy of the map may be submitted for. | GIS software generated geo-referenced digital map संशोधित कर प्रत्येक 200 से 300 मी0 पर coordinates एवं मक डिरिपोजल बिन्दु दर्शाकर पार्ट I के कालम C (iv) में अपलोड किया गया है। |

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,


केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी- छातोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक
मोटर मार्ग का विस्तार।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या
5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु
एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

- 1- इको-क्लॉस की श्रेणी..... V
- 2- हरेधाली का घनत्व.....0.2
- 3-एन०पी०वी० की दर6.57,000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.17है०
- 5-कुल देय एन०पी०वी०रु० 1,11,690.00


उप वन संरक्षक,
कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।